न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 242/2011

आरसीएमएस नं. 2011/00245

1. जिला वन अधिकारी, हनुमानगढ।
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी, हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला हनुमानगढ। ——**अपीलार्थीगण**

बनाम

रामप्रताप पुत्र तेजाराम जाति सुथार सा0 बीड तह0 भादरा जिला हनुमानगढ।

—— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 20.01.2011, प्र. सं. 111/2007

उपस्थितिः—

श्री खुशकरण सिंह खोसा एवं राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थीगण

निर्णय दिनांक 09.12.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने विचारण न्यायालय में एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसें चक 1 एसएसआर के मु0 नं0 4 के किला नं. 1 से 7 व मु0 नं0 4 के किला नं. 4, 6 से 10 एवं चक 4 बारानी के मु.नं. 10 एवं चक 4 बारानी के मु. नं. 80 के किला नं. 1, 9, 12, 13 में स्वयं या अपने कर्मचारियों व मजदूरों को लगाकर नहर के दानों और अवैध रूप से घुस कर किसी भी हिस्से में बाड़ बनाकर पौधारोपण का कार्य नही करने का अनुतोष मांगा, जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। विद्वान राजकीय अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि नहर निर्माण के समय नहर के दोनों और कच्चा पटरा बना हुआ है। वही पटरा आज मौजूद है कोई नया पटरा नही बनाया गया है तथा अभी कोई भूमि का आवंटन वादी को नही हुआ तथा नहर के दोनों और पटरी वृक्षारोपण हेतु अवाप्त शुदा भूमि है जिसमें रेस्पो0/वादी का कोई स्वत्व नही है। इस बिन्दू पर किसी प्रकार का कोई विवेचन विचारण न्यायालय ने नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी मौजूद था कि पूर्व में नहर के दोनों तरफ जो करीब 25–30 साल पूर्व के वृक्षारोपण परिपक्व होने पर काटकर सरकार के हवाले कर दिये गये थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार उसी जगह पर पुनः वृक्षारोपण किया जा रहा है। परन्तु इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। प्रश्नगत भूमि जो नहर की पटरी के साथ साथ है उस पर कानूनन रेस्पो0 का कोई स्वत्व नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से सिद्ध था कि चक 1 एमएसआर में स्थित भूमि में 58–58 फुट की भूमि के अन्दर तथा चक 4 बारानी की वाद भूमि में लैण्ड प्लान के मुताबिक नहर के मध्य से दोनों तरफ आरडी 8 व 9 के बीच 79–79 फुट भूमि अन्दर बाड़ आदि लगाकर वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई थी जिसें वादी रेस्पो0 का किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलाधीन निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं निर्देशों के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलाण्ट को दिनांक 13.09.2011 को अभिभाषक के बताने पर हुआ इसके बाद समस्त कागजात प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की प्रश्नगत खातेदारी भूमि चक 1 एमएसआर के मु. नं. 3 के किला नं. 1 से 7 व मु. नं. 4 के किला नं. 4, 6 से 10 तक व चक नं. 4 बारानी के मु. नं. 80 के किला नं. 1, 9, 12, 13 में कोई दखलंदाजी नही करने तथा बिना पैमाईश करवाये पेड़ पोधे नहीं लगाने से पाबंद किया है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को अपनी भूमि होने का कथन किया । उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व के संबंध में विवाद है। इस न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट को अपनी भूमि में वृक्षारोपण का हक अधिकार है। जिसके लिए रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि कहां तक है तथा वह कहां तक वृक्षारोपण कर सकता है। इस संबंध में प्रश्नगत भूमि की पैमाईश की जानी उचित है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि पर पैमाईश करवाकर वृक्षारोपण करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि की पैमाईश करवाकर वृक्षारोपण करने हेतु स्वतंत्र है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2011 यथावत रखे जाते हैं। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि की पैमाईश करवाकर वृक्षारोपण करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आया नहीं है इसलिए निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़